कार्यकारिणी आदेश क्र. वी.वी./रा. सं./स्था./2020
953 दिनांक 30/12/2020 के तहत Green and Sustainable Campus Initiative के अन्तर्गत शासन से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार माह के चौथे रविवार या दि. 25/01/2021 को छायंहर उबने संस्था के कर्मशाला में आयोजित की गई बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित रहे

1) श्री अरुण नागरानी
2) श्री. रत्नकांत जैन
3) श्री जगदीशचन्द्र जालोनिया
4) " बलदेव वारस्कर

छात्रसंघ के पदेन अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सचिव को प्राचार्य एवं सं. महोदय की सहमति एवं निर्देशानुसार की गई छात्र संघ की अनुपस्थित के बैठक आयोजित की गई।

बैठक की शुरुआत में शासन से GMSCI हेतु प्राप्त दिशा निर्देशों को पढ़कर सुनाया गया तथा सदस्यों के अवलोकनार्थ GMSCI की कापी उपलब्ध करवाई गई।

कमेटी के सदस्यों द्वारा छात्रसंघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति होने तक GMSCI की प्राप्त Booklet के अनुसार सुझाव पारित किए गए।

प्रस्ताव	सुझाव
1) संस्था में सप्ताह में एक दिवस No Vehicle day के रूप में मनाया जावें	सप्ताह में बुधवार या रविवार में से किसी एक दिन प्रा एवं सं. महोदयजी की स्वीकृति से प्रा. एवं स. महोदयजी, शिक्षक गण एवं कर्मचारियों हेतु एक दिवस No Vehicle day के रूप में मनाया जावें। तथा इस हेतु प्रा. एवं सं. से आदेश पारित करने का अनुरोध किया जावें
2) संस्था कैम्पस के अन्दर प्लास्टिक के उपयोग पर	संस्था के अन्दर समस्त शिक्षकों कर्मचारी P.T.O.

पूर्णतः रोक लगाई जावे।

एवं संस्था के कर्मचारियों से अनुरोध किया जावे एवं इस बाबत संस्था में पोस्टर इत्यादि छपवा कर संस्था में जगह जगह चस्पा किया जावे इस हेतु जब संस्था में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित होंगे तब छात्र छात्राओं के बीच में Slogan competition आयोजित करवाई जा सकती है तत्पश्चात विजेता Slogan को छपवाकर चस्पा किया जा सकता है तथा इस बाबत प्रा एवं सं महोदय से अनुरोध किया गया कि संस्था के एंट्री विन्दु को पिंडाल इत्यादि बनवाने हेतु आदेश प्रदान किया जावे।

3. संस्था में कचरा कुड़ा एवं पत्तियां इत्यादि को न जलाया जावें।

यह बताया गया कि इन्दौर शहर में पूर्व से ही कुड़ा कचरा एवं पत्तियां इत्यादि का जलाना पूर्णतः वर्जित है।

फिर भी यह तय पाया गया कि इस बाबत साफ सफाई के ठेकेदार को निर्देश प्रदान किए जावे अतः इस हेतु श्रीमान विमल पंडित जी, संयोजक सुरक्षा एवं साफ सफाई कि —— को अवगत कराया जावे जिससे वे ठेकेदार साफ सफाई एवं उनकी कमियों के बिंदुओं को दूर्चित कर अमल करवा सकें।

बैठक अन्य कोई विषय/प्रस्ताव न होने से बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

25.1.21

25/1/2021

25/1/2021

श्री वैष्णव पोलिटेक्निक महाविद्यालय : इन्दौर

दिनांक : 08/02/2021

Green & Sustainable Camp. Int. (GSCI) योजनान्तर्गत संस्था स्तर पर गठित समिति की टीप दिनांक 25/01/2021 के परिप्रेक्ष्य में प्राचार्य कक्ष में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में दिनांक 08/02/2021 को बैठक आहुत की गई :–

1. श्री रविन्द्र महाजन – प्रभारी शैक्षणिक
2. श्री विमल पंडित – प्रभारी सुरक्षा एवं साफ सफाई,
3. श्री अशोक व्यास – छात्र परामर्शदाता
4. श्री महेन्द्र जैन एवं श्री मनीष भिड़े – को–आर्डिनेटर

बैठक में समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर बिन्दुवार विचार विमर्श करते हुये, निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये समिति को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया :–

1. समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक के संदर्भ में विदित हो कि संस्था परिसर में शिक्षक/कर्मचारियों द्वारा बिना वाहन के ही परिभ्रमण किया जाता है। चूंकि संस्था के विद्यार्थी एवं अधिकांश शिक्षक/कर्मचारी संस्था परिसर में निवास नहीं करते हैं, अपितु कई किलोमीटर दूर से आते हैं। वर्तमान कोविड–19 की परिस्थिति में उन्हें संस्था में अनिवार्य रूप से एक दिन वाहन लाने से पूर्ण प्रतिबंधित करना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। साथ ही वर्तमान में समिति को निर्देशित किया जाता है कि संस्था के समस्त विद्यार्थी/शिक्षक/कर्मचारियों को वाहनों के कम से कम (ई–वाहनों को छोड़कर) उपयोग करने हेतु जागरूकता अभियान प्रारंभ करें। इस हेतु सभी को सप्ताह में एक दिन स्वेच्छा से बिना वाहन (ई–वाहन को छोड़कर) आने के लिये प्रेरित करें तथा विभागाध्यक्ष की समय अनुकूलता अनुसार विभाग वार गोष्टी कर कार्य संपादित करें एवं प्रगति से अवगत करावें।

2. बिन्दु क्रमांक 2 के संबंध में बैठक में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध के सुझाव की सराहना की गई एवं इस हेतु सुनिश्चित किया गया कि समिति पोस्टर इत्यादि लगवाकर इस संबंध में जागुरूकता अभियान चलावें, जिसमें सिंगल युज प्लास्टिक एवं उससे बनी वस्तुओं के बारे में जागरूक करते हुये उनका उपयोग न करने हेतु प्रेरित करें, ताकि भविष्य में इसे संस्था परिसर में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा सके।

3. बिन्दु क्रमांक 3 के संबंध में सुनिश्चित किया गया कि समिति नगर निगम इन्दौर से सम्पर्क कर संस्था परिसर में आवश्यक कम्पोस्ट कीटों का निर्माण करवाने की कार्यवाही सम्पन्न करें तथा इस हेतु यदि कोई व्यय आदि संभावित है, तो उसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करे। संस्था परिसर में कचरा/पत्तियॉ इत्यादि जलाना प्रतिबंधित है। इस हेतु ठेकेदार को प्रभारी द्वारा पूर्व में भी एवं वर्तमान में पुनः निर्देशित कर दिया गया है।

अतः वर्तमान में संस्था और समाज हित में उपरोक्तानुसार जागरूकता अभियान अतिशीघ्र प्रारंभ किया जावे तथा साथ ही समिति अन्य तकनीकी महाविद्यालयों में भी इस हेतु किये जा रहे कार्यो एवं प्रयासों की जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

08/2/21 08/2/2021 8/2/2021 Bhide 08/02/2021

08/02/21